1280

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

13050
26.10.15

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, छपरा
जिला– सारण

नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र
26 OCT 2015
प्राप्ति तिथि
बिहार, पटना

महाशय,

नगर परिषद्, छपरा के वर्ष 2013–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 467 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद् बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
27 OCT 2015
9392
संख्या............
बिहार, पटना

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14522 / 256 दिनांक– 19.10.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सारण

19/10/15

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

(8079)

नगर परिषद, छपरा
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–467 / 15–16
(अवधि– 2013–14)

भाग–I

प्रस्तावना

1. **निरीक्षित कार्यालय का नाम** :–नगर परिषद, छपरा

2. **लेखा की अवधि** :–2013–14

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र** :–लेखापरीक्षा में प्रस्तुत व जांच किए गए पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में एवं अप्रस्तुत व प्रस्तुत अभिलेख जिसकी जांच नहीं की गई की सूची परिशिष्ट–II पर दी गई है।

4. **लेखापरीक्षा की अवधि** :–11.03.2015 से 21.03.2015

5. **प्रशासन** :–

1) मुख्य पार्षद का नाम	**अवधि**
क) श्रीमती शोभा देवी	01.04.2013 से 31.03.2014
2)उपमुख्य पार्षद का नाम	**अवधि**
क) श्रीमती सुनिता देवी	01.04.2013 से 31.03.2014
3)नगर कार्यपालक पदाधिकारी	**अवधि**
क) श्री विजय कुमार उपाध्याय	01.04.2013 से 31.03.2014

6. **लेखापरीक्षा दल के सदस्य**

1. श्री संगम तिवारी, ले0प0
2. श्री अरविंद कुमार सिंह, ले0प0
3. श्री चितरंजन कुमार, स0ले0प0अ0
4. श्री नित्येश प्रताप सिंह, स0ले0प0अ0

7. **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन** :– अप्रस्तुत

8. **लेखापरीक्षा टिप्पणी** :–नगर परिषद, छपरा का लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान पंजी, अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। मॉग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया तथा गृह कर की अधिरोपण एवं वसुली हेतु अपेक्षित प्रयास किए जाए। नगर परिषद, छपरा प्रशासन से अनुरोध है कि इसके संधारण के प्रयास किए जाए । नगर परिषद प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

9. **कार्यपालक से वार्तालाप की गई** :–हाँ (21.03.2015)

10. **लेखापरीक्षा का परिणाम** :–

लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गई राशि:– शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशि :–₹3815265

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि :–₹13901603

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– XI पर है।

11. **बजट** :–

बजट प्राक्कलन के विरूद्ध बहुत ही कम लक्ष्यों की प्राप्ति

नगर परिषद द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अनुसार वार्षिक लेखा (नियम 82 तथा 83), वित्तीय विवरण (धारा 88) एवं तुलन पत्र (धारा 89) का संधारण नहीं किया गया था। इसके कारण लेखापरीक्षा द्वारा बजट में दर्शाये गये प्राप्तियों तथा व्ययों का वास्तविक आय–व्यय से शीर्षवार तुलना नहीं किया जा सका।

नगर परिषद कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए संधारित किये गये रोकड़बहियों की जॉच में पाया गया कि बजट में किये गये प्रावधानों के विरूद्ध वास्तविक व्यय अत्यंत कम था। संबंधित विवरण निम्नलिखित है:–

विवरण	**2013–14**
	राशि (₹लाख में)
बजट के अनुसार अनुमानित प्राप्ति	340430128
वास्तविक आय	374220467
बजट का प्रतिशत	—

बजट के अनुसार अनुमानित व्यय	342385716
वास्तविक व्यय	104485606
बजट का प्रतिशत	**30.52**

उपरोक्त ऑकड़ों से स्पष्ट है कि छपरा द्वारा पारित बजट में किये गये व्यय के प्रावधानों के विरूद्ध बहुत ही कम लक्ष्यों की प्राप्ति की गयी थी। नगर परिषद बोर्ड द्वारा पारित बजट के अनुसार व्यय के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने का कारण नहीं बताया गया। बजट अनुमानों को निर्धारित करने का आधार के संबंध में भी नहीं बताया गया।

12. **वित्तीय अधिदृश्य**

नगर परिषद् सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के आय स्त्रोतों पर निर्भर है। परिषद द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं तैयार किया गया था जिसके कारण निधि की सही वित्तीय स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी। नगर परिषद द्वारा संधारित विभिन्न रोकड़ बहियों का वर्ष 2013–14 का संव्यवहारों का विवरण परिशिष्ट ।।। पर है।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

1. बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही के अंतर का समाधान विवरणी बनाकर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार लेखापाल रोकड़बही का 31.03.13 को अंतशेष ₹74832314/– था जो 01.04.13 को प्रारंभिक शेष होना चाहिए था लेकिन परिषद् द्वारा प्रस्तुत रोकड़बही के अनुसार 01.04.13 को प्रारंभिक शेष ₹130087573/– था। किस प्रकार यह परिवर्तन हुआ लेखापरीक्षा में नहीं बताया गया।
3. ट्रेजरी पासबुक एवं चेक की अधकट्टी प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. अंतशेष के अंतर का समाधान विवरणी तैयार कर नहीं दिखाया जाय।

भाग–II(क)–शून्य

भाग–II(ख)

1. **निरस्त**

2. **रोकड़पाल रोकड़बही की ₹29.79 लाख की राशि जमा नहीं**

नगर परिषद के वित्तीय वर्ष 2013–14 के रोकड़पाल रोकड़बही की राशि का, उपलब्ध कराये गये बैंक पासबुक(पी एन बी खाता सं0 0097000105445221) की राशि से मिलान के क्रम में पाया गया कि कुल राशि ₹2978581 की प्रविष्टियॉ रोकड़बही (खंड–1 पृष्ठ सं0 63 से 81 पर दर्ज) में थी लेकिन बैंक पासबुक में नहीं पाया गया। विवरण परिशिष्ट V पर है। अतः उक्त राशि तत्काल नगर परिषद कोष में जमा कराया जाये तथा राशि अभी तक जमा नहीं कराये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए स्थानीय लेखापरीक्षक को सूचित किया जाये।

3. **भविष्य निधि की कटौती राशि ₹4.61 लाख सम्बन्धित कर्मियों के खाता में जमा नहीं**

नगर परिषद, छपरा के वित्तीय वर्ष 2013–14 के लेखापाल की रोकड़ बही की नमूना जॉच में पाया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में नगर परिषद के कर्मियों के वेतन भुगतान से कटौती की गई भविष्य निधि की राशि को सम्बन्धित कर्मियों के बैंक खातों में जमा नहीं किया गया था।

इस सम्बन्ध में भविष्य निधि शाखा के प्रभारी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 में कटौती की राशि ₹461169 की विवरणी लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जिसे संबंधित कर्मियों के बैंक खाते में अभी तक जमा नहीं किया गया था।

भविष्य निधि की राशि ₹461169 को संबंधित कर्मियों के बैंक खातों में अब तक जमा नहीं किये जाने के कारण संबंधित कर्मचारियों को भविष्य निधि की राशि पर मिलनेवाले ब्याज के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इस संबंध में नगर परिषद् छपरा द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य निधि की कटौती की गई राशि को यथाशीघ्र संबंधित कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाये तथा अगले अंकेक्षण में जमा से संबंधित दस्तावेजों को दिखाया जाये।

(2275

4. सैरातों की बन्दोबस्ती

कार्यालय नगर परिषद छपरा के लेखा वर्ष 2013–14 के संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2013–14 में निम्नलिखित सैरातों की बंदोबस्ती की गई:–

क्र0 सं0	सैरातों का नाम	बंदोबस्ती की राशि	बंदोबस्तधारी का नाम
1.	गुदरी बाजार	₹1502251/–	श्री मिथिलेश कुमार सिंह
5.	सरकारी बाजार	₹346000/–	श्री राजकुमार राय
6.	रिक्शा टिन टिकट	₹133251/–	श्री टुना राय
7.	ठेला, बैलगाड़ी एवं टमटम से टिन टिकट वसूली	₹29501/–	श्री बटर राय
8.	मवेशी वध गृह करीमचक	₹23500/–	मो0 रिजवान
9.	बैलगाड़ी, टैक्टर द्वारा भूसा एवं लकड़ी की चुंगी	₹152100/–	श्री जितेन्द्र राय
		₹2186603/–	

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

1. म्यूनिसिपल एकाउंट रूल 1928 के अनुसार सैरात पंजी का संधारण नहीं किया गया है जिससे यह पता नहीं चल सका कि छपरा नगर परिषद में 2013–14 में कुल कितने सैरात थे।
2. महानिरीक्षक निबंधक विभाग के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के अनुसार बंदोबस्ती की 3% राशि स्टाम्प शुल्क के रूप में वसूल की जानी चाहिए थी लेकिन नगर परिषद छपरा में स्टाम्प शुल्क की राशि ₹65598/–(2186603 का 3 प्रतिशत) वसूली नहीं गई।
3. बंदोबस्ती की शर्त सं0 3 के अनुसार डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जमानत की राशि अलग–अलग सैरात के लिए डाक में भाग लेने से पूर्व नगर परिषद के कोषपाल के पास जमा करना होगा लेकिन किसी भी डाकवक्ता के द्वारा जमानत की राशि जमा नहीं की गई।

इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

2७५

अतः कंडिका में उल्लिखित स्टाम्प शुल्क की राशि ₹65598 को संबंधित व्यक्तियों/कर्मचारियों से वसूल की जाये।

5. परिषद द्वारा ₹6.72 लाख के सेवा कर की वसूली दुकान किरायदारों से नहीं किया जाना

वित्त अधिनियम, 1994 की अधिनियम की धारा 66बी के अनुसार नकारात्मक सूची में उल्लिखित सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं पर सेवा कर का अधिरोपन 12 प्रतिशत की दर से किया जाना है। आगे, अधिनियम की धारा 65बी तथा 66ई में अचल सम्पत्तियों से प्राप्त किराया पर सेवा कर अधिरोपित करने का प्रावधान है तथा अधिनियम की धारा 68 के अनुसार सेवा कर का भुगतान सेवा प्रदाताओं को करना है। अधिनियम की धारा 75 तथा 76 में सेवा कर का भुगतान निश्चित समय के अंदर नहीं किये जाने पर दंड के साथ सेवा कर की राशि पर ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान है।

नगर परिषद, छपरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में वसूल किये गये किराया की रसीद से ज्ञात हुआ कि सेवा कर की वसूली नहीं की गई थी

वित्तीय वर्ष 2013–14 में नगर परिषद, छपरा के दुकानों के किराया से प्राप्त राशि पर वसूल की जाने वाली सेवा कर की राशि का विवरण निम्नलिखित हैः–

प्राप्ति का विवरण	**वित्तीय वर्ष**	**प्राप्त राशि ₹ में**	**सेवा कर का दर प्रतिशत में(उपकर सहित)**	**सेवा कर की वसूल की जाने वाली राशि ₹ में**
दुकान से प्राप्त किराया	2013–14	5437173	12.36	**672035**
			योग	**672035**

सेवा करों को संबंधित व्यक्तियों से वसूल नहीं करने के कारण अंततः इन करों को जमा करने का दायित्व नगर परिषद कार्यालय का ही है। साथ ही, इन करों को समय पर जमा नहीं करने के कारण नगर परिषद कार्यालय पर सूद एवं पेनाल्टी के रूप में अतिरिक्त दायित्वों का भी सृजन हो रहा है।

1873

लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ

1. दुकान किरायादारों के साथ किये गये एकरारनामा में दुकान किराया के अतिरिक्त समय–समय पर सरकार द्वारा लगाये जाने वाले करों की वसूली से संबंधित प्रावधान किये गये थे या नहीं इस संदर्भ में लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया। जिसके कारण ज्ञात नहीं किया जा सका कि किरायेदारों से इस प्रकार के संवैधानिक करों अथवा बकायों को वसूल करने के लिए निगम कार्यालय द्वारा एकरारनामा में प्रावधान किया गया है अथवा नहीं।
2. इस प्रकार की परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग पर लगने वाले सेवा करों की वसूली किरायेदारों से कर केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग में जमा नहीं किये जाने के कारण परिषद कार्यालय पर सूद एवं पेनाल्टी के रूप में अतिरिक्त दायित्वों का भी सृजन हो रहा है। अर्थात् नगर परिषद कार्यालय द्वारा सेवा कर की वसूली संबंधित व्यक्तियों अथवा एजेंसियों से नहीं करने के कारण परिषद कार्यालय पर ₹ 672035 के दायित्वों को सृजन हो गया। अतः इस हानि की वसूली जिम्मेवार कर्मियों/पदाधिकारियों से कर परिषद कोष में जमा किया जाए।

6. दुकान किराया मद में ₹80 लाख बकाया

नगर परिषद, छपरा के दुकानों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2013–14 की माँग एवं संग्रहण पंजी संधारित नहीं की गई थी। इसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि परिषद के पास कुल कितने दुकान थे तथा उनमें से कितने दुकानों को किराया पर लगाया गया था। साथ ही यह भी नहीं ज्ञात किया जा सका कि मार्च,14 तक इन दुकानों का किराया कब से तथा कितनी राशि बकाया थी।

नगर परिषद, छपरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में परिषद के दुकानों से किराया मद में प्राप्त हुई राशि का विवरण उपलब्ध कराया गया जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

बकाया	हाल माँग	कुल माँग	वसूली	बकाया(1अप्रैल 2014)
9111259	4333621	13444880	5437173	8007707

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि नगर परिषद, छपरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में दुकान से किराया मद में कुल वसूली ₹5437173 थी जो कुल माँग की मात्र लगभग 40 प्रतिशत थी तथा 1 अप्रैल 2014 तक कुल बकाया ₹8007707 थी।

इस संबंध में नगर परिषद द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः नगर परिषद को सुझाव दिया जाता है कि दुकानों से संबंधित माँग एवं संग्रहण पंजी संधारित किया जाये तथा दुकान किराया की बकाया राशि ₹8007707 की वसूली कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचित किया जाये।

7. संचार टावरों का पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क की राशि ₹27.80 लाख बकाया

बिहार सरकार द्वारा संचार टावरों एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर परिषद् में पंजीकरण शुल्क राशि ₹40,000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क की राशि ₹10,000.00 प्रतिवर्ष निर्धारित है। नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित टावरों को उपवर्गित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षों के संख्या के आधार पर लिया जायेगा। नियम 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जायेगा। नियम 6(8) के अनुसार पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क के बिना तथा नगरपालिका की अनुमति के बगैर कोई भी संचार टावर स्थापित नही किया जायेगा तथा ऐसी अनुमति के बिना स्थापित सभी टावर अवैध माने जायेंगे।

कार्यालय नगर परिषद छपरा के संचार टावरों के बकाया से संबंधित दी गई विवरणी के अनुसार कुल टावरों के विरूद्ध कुल ₹2780000/– बकाया है। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट VI पर संलग्न है।

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

1. नगर परिषद् छपरा क्षेत्र में स्थापित टावरों तथा उसमें कार्यरत एंटीनाओं से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया।
2. वर्ष 2013–14 तक कितने टावरों के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किए गए इस संबंध में लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया।

3. वर्ष 2013–14 में मोबाईल टावरों द्वारा राजस्वों को जमा नहीं करने पर कितने टावरों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गयी, की सूची लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।
4. नगर परिषद क्षेत्र में स्थापित संचार मीनारों एवं अतिरिक्त एंटिनाओं की वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए नगर परिषद् छपरा द्वारा सर्वेक्षण नहीं कराया गया।
5. इन मोबाईल टावरों के अधिष्ठापन का वर्ष नहीं बताया गया।

अतः नगर परिषद, छपरा को सुझाव दिया जाता है कि नगर परिषद् क्षेत्र में स्थापित संचार मीनारों एवं अतिरिक्त एंटिनाओं का सर्वेक्षण कराकर इनकी वास्तविक संख्या तथा अधिष्ठापन का वर्ष ज्ञात की जाये। साथ ही स्थापित टावरों तथा उसमें कार्यरत एंटीनाओं से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण किया जाये। इसके अतिरिक्त बकाया की राशि ₹2780000/– की वसूली संबंधित टावर मालिकों से कर परिषद कोष में जमा कराया जाये तथा इसे स्थानीय लेखापरीक्षक को सूचित किया जाये।

8. गृहकर इत्यादि मद में कुल ₹84.63 लाख की राशि बकाया

नगर परिषद, छपरा द्वारा गृहकर से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त मदों के अंतर्गत 31.03.14 तक कितना बकाया एवं चालू मॉग था तथा इसके विरूद्ध कितनी राशि वसूली गयी थी।

परिषद कार्यालय द्वारा प्रस्तुत्र विवरणी के अनुसार मार्च,14 तक कुल ₹8463144 बकाया था जो कुल मॉग का लगभग 59 प्रतिशत था3। कुल मॉग के विरूद्ध की गई वसूली का विवरण नीचे दिया गया है–

बकाया	हाल मॉंग	कुल मॉंग	वसूली	बकाया(1अप्रैल 2014)
1049874	19894160	20944034	12480890	8463144

लेखापरीक्षा अभियुक्तियॉं

1. उपरोक्त मदों की मॉग एवं संग्रहण पंजी संधारित नहीं किया गया था।
2. बकाया राशि ₹8463144/–की वसूली के लिए परिषद कार्यालय द्वारा किये गये प्रयास के बारे में लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया।

अतः नगर परिषद को सुझाव दिया जाता है कि गृहकर की माँग एवं संग्रहण पंजी का संधारण किया जाये तथा बकाया राशि ₹8463144/–की वसूली कर परिषद कोष में जमा कराया जाये। इस संबंध में स्थानीय लेखापरीक्षा, बिहार, पटना को सूचित किया जाये।

9. सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली नहीं (₹2.14 करोड़)

लेखापरीक्षा के दौरान नगर परिषद छपरा द्वारा लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराई गई विवरणी से पता चला कि सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर 31.03.14 तक कुल ₹ 21350620/– भवन कर के रूप में बकाया थी। विवरणी परिशिष्ट VII पर संलग्न है।

उक्त बकाया राशि ₹ 21350620/– की वसूली अभी तक क्यों नहीं की गई। इसकी वसूली के लिए आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं एवं फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।

10. शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर की राशि जमा नहीं

प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1959 तथा स्वास्थ्य उपकर नियमावली 1972 के अनुसार यह आदेशित था कि वे शिक्षा तथा स्वास्थ्य के उपकर की उगाही कर उस राशि को कोषागार के माध्यम से सरकार के उक्त शीर्ष में जमा करें। इस कार्य में 10 प्रतिशत की राशि की कटौती प्रभार शुल्क के रूप में रखी जानी थी।

छपरा नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार वर्ष 2013–14 में शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपकर की वसूली निम्न रूप से की गई:–

शीर्ष	**सरकारी भवनों से**	**निजी भवनों से**	**कुल**
शिक्षा	266882.75	156011.12	422893.87
स्वास्थ्य	266882.75	156011.12	422893.87
			845787.74

अर्थात् ₹761208.96 (₹845787.74 का 90 प्रतिशत) की राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना था। लेकिन छपरा नगर परिषद द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

अतः नगर परिषद को सुझाव दिया जाता है कि ₹761208.96 की राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कराकर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचित किया जाये।

11. योजनाओं को पूर्ण नहीं कराया जाना

नगर परिषद, छपरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में ली गई 83 योजनाओं की विवरणी उपलब्ध करायी गई। योजना विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि ली गई योजनाओं में 4 योजनाओं जिसकी प्राक्कलित राशि ₹7398800 तथा व्यय ₹4758795 है को लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत होने के बावजूद भी पूर्ण नहीं कराया गया था। विवरणी परिशिष्ट VIII पर है।

इस संबंध में नगर परिषद द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अपूर्ण योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ अथवा उनके संबंध में सामंजन/वसूली की कार्रवाई की जाये।

12. विविध रसीद द्वारा वसूली गई राशि जमा नहीं(₹11242/–)

लेखापरीक्षा के दौरान नगर परिषद, छपरा के विविध रसीद के द्वारा वसूली गई राशि ₹11,242/– परिषद कोष में जमा नहीं पाया गया। विवरण निम्न हैः–

क्र0 सं0	रसीद सं0/दिनांक	राशि	संबंधित व्यक्ति का नाम
1.	10664/03.04.13	10,500/–	मसूद हसन आरिफ
2.	24196/26.7.14	742/–	सूर्यमोहन प्रसाद यादव
		11242/–	

अतः उक्त राशि की वसूली संबंधित व्यक्ति से करके परिषद कोष में जमा कराया जाये।

13. दुकान किराया की राशि ₹ 2364 जमा नहीं

नगर परिषद, छपरा के वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवधि की दुकान–किराया रसीद का किराया संग्रहन पंजी से मिलान के क्रम में पाया गया कि राशि ₹2364 के रसीद को संग्रहन पंजी में निरस्त लिखा पाया गया परन्तु इसके विरूद्ध रसीद की मूल प्रति नहीं पायी गई एवं दूसरी प्रति निरस्त नहीं पायी गई।

विवरण निम्न हैः–

क्रम सं0	रसीद संख्या	तिथि	राशि	विवरण(दूकान सं0/अवधि)
1.	24297	6.2.14	1280	127ए, जुलाई–अगस्त 13
2.	24434	14.2.14	1084	88, अगस्त–नवम्बर, 10
		कुल	2364	

अतः उक्त राशि को अविलंब नगर परिषद कोष में जमा कराया जाये।

14. होल्डिंग कर एवं दूकान किराया की राशि ₹ 85445.20 जमा नहीं

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत होल्डिंग रसीद एवं दैनिक संग्रहण पंजी का रोकड़पाल के रोकड़बही से मिलान के क्रम में यह पाया गया कि राशि ₹85445.20 के होल्डिंग कर का संग्रहण हुआ लेकिन यह राशि न तो रोकड़बही में दर्ज पायी गयी और न ही परिषद कोष में जमा पायी गयी। विवरण निम्नलिखित है:–

क्रम सं0	संग्रहकर्त्ता का नाम(श्री)	होल्डिंग रसीद	संग्रहित राशि	दिनांक	अभ्युक्ति
1.	सुदर्शन राम	20437	1388.20	26.11.13	होल्डिंग रसीद की मूल प्रति नहीं। अन्य प्रति रद्द दिखाय गया
		16320–16329	6363	1.6.13–5.6.13	होल्डिंग की राशि रोकड़बही मे दर्ज नहीं
		18618–18638	7642	26.8.13–3.9.13	–तदैव–
		20453–20463	5257	17.12.13–18.12.13	–तदैव–
		23601–23606	6519	6.2.14–13.2.14	–तदैव–
		23616–23620	4828	25.2.14–4.3.14	–तदैव–
2.	ललन शर्मा	20614–20628	5915	14.11.13 से 21.11.13	–तदैव–
		14816–14827	4359	31.3.13	–तदैव–
3.	राम बाबू प्रसाद	22101–22120	43174	26.6.13 से 15.7.13	मार्केट किराया
		कुल	85445.20		

अतः उक्त राशि को परिषद कोष में तत्काल जमा कराया जाए तथा इस संबंध में स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचित किया जाए।

15. डस्टबीन, कार्ट, ट्राली के क्रय की संचिका अप्रस्तुत

नगर परिषद, छपरा के वित्तीय वर्ष 2013–14 के लेखापाल रोकड़बही तथा चेक निर्गत पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर परिषद के लिए 13वीं वित्त की राशि से डस्टवीन, कार्ट, ट्रॉली का

क्रय करने हेतु सुप्रीम इंटरप्राइजेज को दिनांक 4.5.13 को चेक सं0 ए615436 द्वारा कुल ₹11715000 की राशि का भुगतान किया गया था।

उपर्युक्त भुगतान से संबंधित संचिका अभिश्रव, भंडार पंजी इत्यादि की मॉग बार–बार करने के बावजूद लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। संचिका को नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजे जाने के बारे में बताया गया लेकिन संचिका को नगर विकास एवं आवास विभाग में भेजे जाने से संबंधित कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ

1. उपर्युक्त राशि से क्रय करने हेतु बोर्ड के बैठक में लिये गये निर्णय की प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. उपर्युक्त राशि से कितने डस्टवीन, ट्राली इत्यादि का क्रय किया गया के संबंध में नहीं बताया गया।
3. डस्टबीन को परिषद क्षेत्र में किन–किन जगहों पर कब रखा गया था, इसकी सूची लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
4. डस्टवीन से कूड़ा उठाने के लिए कम्पैक्टर की आवश्यकता होती है। लेकिन नगर परिषद के पास कम्पैक्टर नहीं होने के बावजूद भी डस्टबीन का क्रय किया गया।
5. डस्टबीन, ट्राली इत्यादि नगर परिषद को कब प्राप्त हुआ इस संबंध में नहीं बताया गया।

अतः उपर्युक्त आपत्तियों का जवाब दिये जाने तथा क्रय संबंधी संचिका उपलब्ध कराये जाने तक भुगतान की गई राशि ₹11715000 आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

भाग–III(TAN)

1. वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86 तथा 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का

आय–व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम–82 तथा 83 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के आय तथा व्यय का विवरण फार्म XVII तथा XVIII में दर्ज किया जाएगा तथा लेखापाल द्वारा फार्म XIX में वार्षिक लेखा संधारित किया जाएगा।

लेकिन नगर परिषद, छपरा द्वारा न तो वित्तीय विवरण तथा न ही वार्षिक लेखा (2013–14) का संधारण किया गया है। अतः नगर परिषद को उपरोक्त प्रावधानानुसार वित्तीय विवरण तथा वार्षिक लेखा का संधारण करने का सुझाव दिया जाता है।

2. अनुदान पंजी का संधारण नहीं

सरकार अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी में किया जाना है तथा इसमें अनुदानवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ का पूर्व शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाला अनुदान, वर्ष के दौरान किये गये व्यय तथा वर्ष के अन्तशेष को दर्ज किया जाना है। इसको बिहार नगरपालिका नियमावली, 1928 के नियम–141 के प्रारूप में संधारित करना है। लेकिन नगर परिषद, छपरा में अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया है। इसके अभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के प्रारंभ में किस अनुदान का पूर्व शेष क्या है तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़ा हुआ है।

परिषद कार्यालय के कोषागार आवंटन पंजी तथा विभिन्न रोकड़बहियों (लेखापाल रोकड़बही तथा सहायक रोकड़बही) की जॉच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल ₹324891630 की अनुदानों की प्राप्ति हुई जिसकी विवरणी परिशिष्ट IX पर है।

लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ

1. अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था।
2. नगर परिषद कार्यालय द्वारा सरकार से प्राप्त हुए अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों पर किया गया था जिनका लेखा संधारण नहीं किया गया था।

3. वित्तीय वर्ष 2013–14 के प्रारंभ में किस अनुदान का पूर्व शेष क्या था तथा कौन सा अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़ा हुआ था, यह ज्ञात नहीं किया जा सका।
4. उपर्युक्त पंजियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 में नगर परिषद को प्राप्त कुल अनुदान राशि ₹ 324891630 के विरूद्ध कितनी राशि का उपयोग किया गया तथा वर्ष के अंत में कितनी राशि अनुपयोगी पड़ी रह गयी इसको ज्ञात नहीं किया जा सका। उपयोग किये गये राशि का भाउचर भी लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
5. अनुपयोगी अनुदानों का अनुदानवार अनुपयोगी रहने के कारणों को नहीं बताया गया।

3. अग्रिम पंजी का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका नियमावली, 1928 के नियम–74 के अनुसार अग्रिम पंजी का संधारण फॉर्म XV में किया जाना है।

लेकिन नगर परिषद, छपरा द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण उपर्युक्त फॉर्म में नहीं किया गया था। अग्रिम पंजी के अभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि किस व्यक्ति के पास कितनी असमायोजित अग्रिम राशि लम्बित थी। साथ ही यह भी ज्ञात नहीं किया जा सका कि अग्रिम राशि के भुगतान का उद्देश्य क्या था। लेखापाल रोकड़बही तथा सहायक रोकड़बहियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान दिए गए अग्रिमों की राशि ₹661000 थी जिसका विवरण परिशिष्ट X पर है।

अतः नगर परिषद को सुझाव दिया जाता है कि अग्रिम पंजी का संधारण किया जाये तथा बकाया/असमायोजित अग्रिम का समायोजन/वसूली के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाये।

4. बजट प्राक्कलन निर्धारित समयावधि में पारित कर सरकार को नहीं भेजा जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्त्तन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी का अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगर परिषद, बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो, पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट

(264)

प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगर परिषद को लौटा देगी।

नगर परिषद, छपरा के वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट सशक्त स्थायी समिति द्वारा दिनांक 26.8.13 को पारित किया गया था। इस बजट को दिनांक 8.10.13 को नगर परिषद, छपरा के बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किया गया था। सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को पत्र के माध्यम से इसकी सूचना नहीं भेजी गयी थी तथा न ही उन्हें सूचित करने का कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ

1. बजट प्राक्कलन को प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में सशक्त स्थायी समिति के समक्ष नहीं पेश किया गया तथा दिनांक 15.3.13 तक बोर्ड द्वारा इसे पारित नहीं कराया गया।
2. बजट प्राक्कलन सरकार को नहीं भेजा गया।
3. नगर परिषद द्वारा न तो वार्षिक लेखा बनाया गया है तथा न ही आय–व्यय का मदवार कोई लेखा रखा गया है। बजट में प्रवाधानित राशि के विरूद्ध ही नगर परिषद द्वारा आय–व्यय किया गया है अथवा नहीं की इसकी तुलना लेखापरीक्षा में जिन अभिलेखों से की गई थी इसके संबंध में नहीं बताया गया।

5. अप्रस्तुत विविध रसीद

नगर परिषद, छपरा द्वारा लेखापरीक्षा में निम्नलिखित विविध रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया:–

क0 सं0	रसीद सं0	संग्रहकर्ता का नाम
1.	11201–11300	मसूद हसन आरिफ
2.	11301–11400	मसूद हसन आरिफ
3.	11401–11500	मसूद हसन आरिफ
4.	11501–11600	ध्रुव प्रसाद
5.	11601–11700	ध्रुव प्रसाद

6.	11701–11800	ध्रुव प्रसाद
7.	11801–11900	ध्रुव प्रसाद
8.	11901–12000	ध्रुव प्रसाद
9.	12001–12100	ध्रुव प्रसाद
10.	12101–12200	ध्रुव प्रसाद
11.	12201–12300	ध्रुव प्रसाद

उपरोक्त रसीदों से वसूली को विभागीय स्तर पर जाँच कर नगर परिषद् निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. रोकड़बहियों में त्रुटियाँ

नगर परिषद, छपरा के लेखाओं के लेखापरीक्षा के क्रम में रोकड़बही की जॉच में निम्नलिखित त्रुटियॉ पायी गईः–

1. रोकड़बही में भुगतान की प्रविष्टियों में चेक संख्या का वर्णन नहीं पाया गया।
2. अधिकांश प्रविष्टियों के अंत में कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनुपलब्ध था।
3. माह तथा वर्ष के अंत में मासिक और वार्षिक कुल आय एवं व्यय दर्ज नहीं था।
4. रोकड़बही में आय–व्यय का वर्गीकरण नहीं पाया गया।
5. आय–व्यय का पूर्ण विवरण नहीं पाया गया।
6. माह के अंत में रोकड़ बही के शेष को कोषागार/बैंक पासबुक से शेष से मिलान नहीं किया गया।
7. प्रत्येक माह के अंत में संवरण शेष नहीं निकाला गया थां। वित्तीय वर्ष के अंत में भी संवरण शेष नही निकाला गया था। संवरण शेष को अगले वित्तीय वर्ष में नहीं लिया गया था।
8. वर्षवार आय और व्यय का सार तैयार नहीं किया गया।
9. रोकड़बही में अनेक जगहों पर कटिंग एवं ओवरराइटिंग पाया गया।

7. निरस्त

262

8. राशि की वसूली सुनिश्चित नहीं

नगर परिषद, छपरा के वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवधि के होल्डिंग रसीद तथा दैनिक संग्रहण पंजी से मिलान के क्रम में रसीद सं0 14404 की दूसरी प्रति/कार्बन प्रति के भरे नहीं होने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि मूल प्रति द्वारा कितनी राशि की वसूली की गई थी। विभागीय स्तर पर जाँच कर वसूली गई राशि को नगर परिषद् कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9. कर संग्राहकों द्वारा होल्डिंग रसीद/पंजी अप्रस्तुत

नगर परिषद, छपरा द्वारा लेखापरीक्षा में निम्नलिखित होल्डिंग तथा दुकान किराया रसीद लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गयाः–

क्रम सं0	संग्राहक का नाम (श्री)	रसीद	विवरण
1.	रमेश प्रसाद यादव	15301–15400, 18101–18200, 21601–21700, 25001–25100	होल्डिंग
2.	ललन शर्मा	16101–16200, 14801–14900	होल्डिंग
3.	मसूद हसन आरिफ	21501–21600, 24001–24100	मार्केट
4.	पृथ्वी प्रसाद यादव	23301–23400, 23801–23900	मार्केट

उपरोक्त अप्रस्तुत रसीदों से वसूली गई राशि को विभागीय स्तर पर जाँच कर नगर परिषद् कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

– हस्ता0–
(नित्येश प्रताप सिंह)
स0ले0प0अ0

अनुमोदित
उपमहालेखाकार
––सह––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

261

परिशिष्ट–I. भाग 1 कंडिका - 3

कार्यालय नगर परिषद, छपरा के लेखापरीक्षा के कम में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किए गए:–

1. बजट प्राक्कलन
2. लेखापाल रोकड़बही
3. रोकड़पाल रोकड़बही
4. सहायक रोकड़बही
5. दैनिक संग्रह पंजी
6. भंडार पंजी
7. विविध रसीद (आंशिक)
8. होल्डिंग कर की रसीद (आंशिक)
9. योजना संचिकाएँ(आंशिक)
10. सैरातों की संचिका
11. दुकान किराया की मॉग एवं वसूली की विवरणी
12. गृह कर की मॉग एवं वसूली की विवरणी
13. संचार टावरों की बकाया की विवरणी

R Kumar

कार्यालय नगर परिषद, छपरा के लेखापरीक्षा के कम में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए:–

1. कोषागार पासबुक
2. अनुदान पंजी
3. वार्षिक लेखा
4. भवन करों (होल्डिंग्स टैक्स) का मॉग एवं संग्रहण पंजी
5. विज्ञापन का मॉग एवं संग्रहण (लेखा) पंजी
6. ऋण विनियोग पंजी
7. निबंधित वास्तुविदों की पंजी
8. चल सम्पतियों से संबंधित पंजी/भंडार लेखा
9. विधि पंजी
10. वित्तीय विवरण
11. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालन प्रतिवेदन
12. तुलन पत्र
13. सेवानिवृत/ मृत कर्मियों के दावे के विवरण से संबंधित पंजी
14. सामंजन पंजी
15. जमा पंजी
16. प्राप्तियों का त्रैमासिक तथा वार्षिक पंजी
17. व्ययों का त्रैमासिक तथा वार्षिक पंजी
18. लेखापरीक्षा पंजी
19. सरकारी प्रतिभूतियों की पंजी
20. भूमियों की पंजी
21. किराया पंजी
22. जमाबंदी पंजी
23. लीजधारियों की पंजी
24. बकाया सूची
25. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पंजी
26. ह्रास निधि पंजी (Depreciation fund register)
27. प्रमाणक
28. वाहनों का लॉगबुक तथा संबंधित अभिलेख
29. कार्यरत एवं स्वीकृत बल की सूची
30. दुकान किराया की पंजी एवं एकरारनामा
31. सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत संचिका
32. उपयोगिता प्रमाण पत्र
33. नक्शा पंजी
34. मदवार व्यय का वार्षिक संवरण
35. बैंक खाता तथा खाताओं से संबंधित पंजीकेन्द्रीय भण्डार पंजी
36. वाहनों के विवरणी
37. अभिश्रव
38. सेवा पुस्तिका
39. एस0जे0एस0आर0वाई0 से संबंधित संचिका
40. ईंधन कय की संचिका
41. योजनाओं की संचिका (आंशिक)

परिशिष्ट -III भाग 1 कंडिका -12 259

Bank Name :-	
Account No. :-	
मद :- PL	
	2013-14
O.B	130087513
Receipt	374220467
Intt.	-
Total	374220467
GT	504308040
Exp	104485606
Balance	399822434

Amarendra
20/08/15
Acct Chapra

1258

Bank Name	PNB
Account No	1226
मद	वृद्धा पेंशन

O.B	8561120
Receipt	11890632
Intt.	-
Total	11890632
GT	20451752
Exp	14906850
Balance	5544902

Closing Balance of Passbook

as on 31.3.14 = 5544912/-

बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही के अंतशेष का अंतर = 10/-

Amarsingh
20/03/15
ACCT, Chapra